

कार्यालय महाप्रबंधक
मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली

रजि. कार्यालय : डी विंग, द्वितीय तल, विद्याचल भवन, भोपाल

CIN-U41000MP2012SGC028798

(Website: www.mpjalnigam.mp.gov.in)

gmsingrauli.mpjn@mp.gov.in)

क्रमांक 668 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023
प्रति,

दिनांक 18.3.23

वन मण्डलाधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

विषय:- गोण्ड देवसर ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत वन विभाग के प्रकरण क्रमांक
FP/WATER/151345/2022 की अनुमति के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1805 दिनांक 02.12.2022
 2. वन परिक्षेत्र अधिकारी का पत्र क्र. 3824 दिनांक 22.12.2022
 3. इस कार्यालय का पत्र क्र. 55 दिनांक 06.01.2023
 4. कार्यालय कलेक्टर का आदेश क्र. 56/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 18 जनवरी 2023
 5. वन संरक्षक, रीवा, वृत्त रीवा का पत्र क्र. 629 दिनांक 30.01.2023
 6. वन मंडल अधिकारी सिंगरौली का पत्र क्र. 626 दिनांक 01.02.2023
 7. इस कार्यालय का पत्र क्र. 583 दिनांक 14.03.2023
 8. इस कार्यालय का पत्र क्र. 613 दिनांक 16.03.2023

---XXX---

विषयान्तर्गत लेख है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत गोंड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगतिरत है। उक्त योजना के तहत वन भूमि पर पाईप लाईन बिछाने की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में स्थल निरीक्षण एवं मौका पंचनामा का कार्य पूर्ण कर लिया गया है किन्तु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के संदर्भित पत्रों अनुसार वन भूमि के KML File में कुछ भू-भाग पर अतिक्रमण पाया गया है।

संदर्भ पत्र क्र. 1 के माध्यम से मार्गदर्शन मांगा गया था एवं आपके आदेशानुसार जल निगम एवं वन विभाग घर-घर जाकर वैध पट्टाधारियों एवं अवैध पट्टाधारियों का पहचान की गई इसमें पाया गया कि KML File को घटाया नहीं जा सकता। घटाने की स्थिति में वैध पट्टाधारी नल जल योजना से लाभान्वित नहीं हो पायेंगे एवं इस कार्यालय द्वारा Under Taking संदर्भ पत्र क्र. 3 द्वारा आपको प्रेषित किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया है कि वन विभाग के अनुमति के पश्चात् ही FHTC कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से वन परिक्षेत्र अधिकारी ने वन मण्डल अधिकारी सिंगरौली को अवगत कराया गया है कि कुछ अतिक्रमण के पट्टे अभी DLC/SDLC पर लंबित हैं जिन्हें भविष्य में वनाधिकार प्राप्त हो जायेगा। ऐसी स्थिति में KML File में पाइप लाईन घटाना उचित नहीं होगा।

अतः अनुरोध है कि संदर्भित प्रकरण के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि अनुमति प्राप्त कर पाईप लाईन बिछाने का कार्य वन भूमि में प्रारम्भ किया जा सके एवं शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना को तय समय सीमा वर्ष 2023 तक पूर्ण किया जा सके।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली

पृ. क्रमांक 669 /महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2023
प्रतिलिपि:-

दिनांक 18.3.23

1. मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम मर्या. भोपाल की ओर सूचनार्थ
2. ओ.एस.डी. परमिशन, मध्यप्रदेश जल निगम मर्या. भोपाल की ओर सूचनार्थ
3. मुख्य वन संरक्षक, रीवा की ओर सूचनार्थ
4. इंचार्ज एसक्यूसी, गोण्ड देवसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एल एण्ड टी गोण्ड देवसर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया.ई. सिंगरौली